717

GCMS
2022/124

फर्द अहकाम
न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

प्रेम वगै0 बनाम श्रीफूल वगै0

किस्म प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 223/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	06.06.2022 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट सायलान प्रेम वगै0 की ओर से श्री गोपाल लाल शर्मा एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील सायलान को एक पक्षिय सुना गया। बहस पर मनन करनें व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर मामला प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर गैर सायलान को आदेश दिया जाता है कि वह भूमि खसरा नं0 02 रकबा 0.73 है0, ग्राम छकड़ा तहसील वजीरपुर में आगामी तारीख पेशी तक सायलान के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें तथा उक्त खसरा नं. में जेसीबी नहीं चलावे। गैर सायलान की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे रजिस्ट्री डाक का खर्चा सायलान स्वयं वहन करगे। पत्रावली दिनांक 16.06.2022 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (स.मा.)	
16.6.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। प्रार्थीगण ने दावे में अस्थाई पत्र पेश कर दावा वादी विन्दु के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित दावा खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फाईनल हुआ है। नम्बर से कम होकर तामील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (स.मा.)	महेन्द्र सिंह मंगल धनसिंह